

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर 154  
कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान   | अवधि                               | स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।                                   |
|---------|--|------------------------------------|--|
| 01      | 02   | 03                                 | 04   |
| 01      | श्रीमती शर्मिला यादव,<br>व्याख्याता-इतिहारा,<br>राउमावि-श्रीनगर- अजमेर | जनवरी 2021 से<br>आगामी व्यवस्था तक | राउमावि- श्रीनगर- अजमेर में<br>व्याख्याता- कृषि विज्ञान के रिक्त<br>पद विरुद्ध |

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन व्यवस्था/31825/इति-वाणि/2021/वो-1  
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक-23/6/21

- 1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
- 4 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य/कार्मिक
- 5 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर